

29.05.24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी मूल वाद में वादी एवं
एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा
होने से पत्रावली के निरन्तारण हेतु
प्रस्तुत प्रार्थना - पत्र के आधार पर
मूल वाद फैसल किया जा चुका है।
अतः मूल वाद का निरन्तारण होने से
प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं
जाती है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर संलग्न मूल वाद रहे।



उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा